बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

सं0सं0-3/यो0-28/2018 । 17

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 13.6.18

विषय: **समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत वृद्धाश्रम गृह सहारा योजना के तहत पूर्व से संचालित 09 जिलों के अतिरिक्त अन्य 11 जिलों में वृद्धाश्रम गृह सहारा संचालित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत वृद्धाश्रम गृह सहारा योजना का संचालन किया जाता है, वृद्धों के पुनर्वास के लिए वृद्धाश्रम सहारा का क्रियान्वयन स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के 09 जिलों यथा- पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णियॉ, प0 चम्पारण, रोहतास, बेगुसराय एवं समस्तीपुर में संचालित किया जा रहा है। पूर्व से संचालित गृहों के अतिरिक्त अन्य 11 जिलों यथा- बांका, शिवहर, सुपौल, खगड़िया, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नवादा एवं जहानाबाद में वृद्धाश्रम गृह सहारा के संचालन की स्वीकृति प्राप्त है। पूर्व के वृद्धाश्रम गृह सहारा के तरह ही नवस्वीकृत गृहों का भी संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा। वृद्धाश्रम गृह सहारा में वृद्धजनों को आवासीत किया जाता है जिनकी न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी देख-भाल की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इनकी मूल बिन्दूओं को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा है। प्रस्तावित आवास गृह में सभी वर्ग/श्रेणी के पुरूष लाभार्थी रखे जायेंगे तथा इन गृहों को संचालित करने वाले गैर सरकारी संस्थाओं को The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 में निबंधित कराना अनिर्वाय होगा।

2. वृद्धाश्रम गृह के संचालन हेतु प्रति गृह व्यय 45,99,750/- (पैतालीस लाख निनान्वे हजार सात सौ पचास) रू0 है। कुल 11 नये गृहों का कुल व्यय 4599750 x 11 = 5,05,97,250/- (पांच करोड़ पांच लाख सनतान्वे हजार दो सौ पचास) रू0 के कुल व्यय का प्रस्ताव है।

3. इस योजना का संचालन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा। इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय इनके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4. वितीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-51 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण उपशीर्ष-0106-निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण -सहायक अनुदान- विपत्र कोड- 51-2235021010106, विषय शीर्ष-0106.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन से प्राप्त उदव्यय/बजट उपबंध के अधीन व्यय किया जायेगा।

5. प्रस्ताव पर संचिका संख्या-3/यो0-28/2018 के टिप्पणी पृष्ट -10 पर दिनांक 07.06.2018 को माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

13.6.18

(वीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक :-3/यो0-28/2018/.......17....... पटना, दिनांक .....13.6.18.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/भवन निर्माण विभाग/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार) 13/6/18
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- : 3/यो0-28/2018/ 17 पटना-15, दिनांक- 13.6.18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार) 13/6/18
सरकार के संयुक्त सचिव।